


न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष / सदस्य महोदय राजस्व
मण्डल ग्वालियर (म०प्र०)

70



मुद्देवाचा न्याय करार
हाचे काज दि. 19-9-16 को

प्र. दि. 19-9-16
कलेक्टर ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निग-3189-II-16

रामस्वयम्बर मिश्रा तनय श्री सुदर्शनराम मिश्रा उम्र-80 वर्ष, पेशा खेती निवासी
ग्राम कुकुडीझर, तहसील गोपदबनास, जिला-सीधी (म०प्र०)

निगरानीकर्ता

बनाम

1. शिवनाथ सिंह (मृतक)
 - 1 (क) राजेन्द्र बहादुर सिंह तनय शिवनाथ सिंह चौहान उम्र-60 वर्ष, पेशा खेती,
 - 1 (ख) शीलध्वज सिंह तनय शिवनाथ सिंह चौहान उम्र-58 वर्ष, पेशा खेती,
 - 1 (ग) व्यंकट बहादुर सिंह तनय शिवनाथ सिंह चौहान उम्र-54 वर्ष, पेशा खेती,
 - 1 (घ) जीवेन्द्र सिंह तनय शिवनाथ सिंह चौहान उम्र-48 वर्ष, पेशा खेती,
 2. जयराम सिंह तनय स्व० श्री रघुपति सिंह चौहान उम्र-56 वर्ष, पेशा खेती,
 3. राजराखन सिंह तनय श्री तेजप्रताप सिंह चौहान उम्र-48 वर्ष, पेशा खेती,
 4. मार्तण्ड सिंह चौहान तनय श्री तेजप्रताप सिंह चौहान उम्र-45 वर्ष, पेशा खेती,
 5. सनत कुमार सिंह तनय स्व० श्री नागेश्वर सिंह चौहान उम्र-65 वर्ष, पेशा खेती,
 6. रणबहादुर सिंह तनय स्व० श्री नागेश्वर सिंह चौहान उम्र-52 वर्ष, पेशा खेती,
 7. विजयबहादुर सिंह तनय स्व० श्री पृथ्वीराज सिंह उम्र-57 वर्ष, पेशा नौकरी,
 8. दानबहादुर सिंह तनय स्व० श्री पृथ्वीराज सिंह उम्र-40 वर्ष, पेशा खेती,
- उक्त सभी निवासी ग्राम हड़बड़ो, पोस्ट उपनी, तहसील गोपदबनास, जिला-
सीधी (म०प्र०)

गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी आवेदन विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय
अपर कलेक्टर महोदय सीधी (पीठासीन
अधिकारी डॉ०एम०पी० पटेल) राजस्व प्रकरण
क्रमांक 16/अपील/2015-16 आदेश दिनांक-
11.02.2016 जिसके द्वारा नितान्त अवैधानिक

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ



प्रकरण कमांक निगरानी 3189-दो/2016

जिला सीधी

रामस्वयम्बर मिश्रा

विरुद्ध

शिवनाथ सिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमाषकों के हस्ताक्षर
05-3-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर सीधी के प्रकरण कमांक 16/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 11-2-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 2-5-2019 को आयुक्त रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p></p> <p> सदस्य 5/3/19</p>	